न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम) सहारनपुर।

****

[उपस्थित–(Sanjay Kumar–V)..........(H.J.S), J.O. Code–UP 1773]

UPSP010057972021

विशेष सत्र वाद संख्या– 1283 सन 2021

उ०प्र०राज्य

....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुद्दीन निवासी मौहल्ला पीरतला कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर।

......अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या– 130/2021
अन्तर्गत धारा– 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
थाना– बेहट, जिला सहारनपुर।

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री खुर्शीद अहमद
घटना दिनाँक	12.03.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनाँक	12.03.2021
आरोप–पत्र प्रसंज्ञान दिनाँक	11.05.2021
आरोप विरचित करने का दिनाँक	28.10.2021
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनाँक	17.11.2023
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनाँक	24.06.2026
निर्णय घोषित दिनाँक	02.07.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनाँक	दोषमुक्त, 02.07.2026

अभियुक्त के संबंध में संक्षिप्त विवरण–

क्र.सं.	नाम अभियुक्त	व्यवसाय/पद	आरोपित अपराध
1.	बाबर उर्फ बब्लू	खेती	धारा– 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची–

क– अभियोजन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की भूमिका
1	रिटायर्ड उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह	विवेचक
2	उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह	वादी मुकदमा
3	कांस्टेबल अंकित तोमर	तथ्य का साक्षी
4	उपनिरीक्षक लोकेन्द्र सिंह	FIR लेखक

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
प्रदर्श क–1	नक्शा–नजरी	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–2	माल दाखिला रिपोर्ट	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–3	आरोप–पत्र	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–4	सहमति–पत्र	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6	दो तौलपर्ची	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–7	फर्द बरामदगी	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–8	गिरफ्तारी प्रपत्र	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–9	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू० 4
प्रदर्श क–10	जी०डी० कायमी सं० 21	पी०डब्लू० 4
वस्तु प्रदर्श–1	कपडा पुलिन्दा	पी०डब्लू० 2
वस्तु प्रदर्श–2	पन्नी	पी०डब्लू० 2
वस्तु प्रदर्श–3	350 एल्प्राजोलाम गोलियाँ	पी०डब्लू० 2

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी सं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
निल	निल	निल	निल	निल

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी सं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
CW1	कां० रवि कुमार	पी.डब्ल्यू.–1 की मृत्यु के संबंध में	i.आख्या मृत्यु ii.मृत्यु प्रमाण पत्र	प्रदर्श–1 प्रदर्श–2

निर्णय

वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह द्वारा तैयार की गई फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–7** के आधार पर अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू का विचारण विशेष वाद संख्या–1283/2021 सम्बन्धित अपराध संख्या–130/2021 अंतर्गत धारा– 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग थाना पुलिस बेहट, जिला सहारनपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित आरोप–पत्र **प्रदर्श क–3** के आधार पर किया गया।

आरोप परिचय–

1. अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 08/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में दिनाँक 28.10.2021 को आरोप विरचित किये गये।

अभियोजन कथानक–

2. अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द/तहरीर **प्रदर्श क–7** में उल्लेखित है कि दिनांक 12.03.2021 को मैं उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह मय उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार चीमा मय हमराह का0 144 अंकित तोमर व का0 1029 नितिन तोमर के मय प्राइवेट वाहन से थाना हाजा से बहवाले रपट न० 11 समय 06:35 को रवाना होकर वास्ते गश्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था तलाश अपराधी हेतु कस्बा बेहट में मामूर थे कि जब हम लोग गश्त करते हुये अहमद कालोनी में स्थित नई पानी की टंकी पर पहुँचे तो सामने से माजनान मन्दिर की तरफ से एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई दिया, जो हम पुलिसवालों को देखकर एकदम सकपकाया तथा नासिर घण्टी कारखाने की बराबर से शिव मन्दिर आम के बाग की ओर भागा कि हम लोगों को शक होने पर एकबारगी दबिश देकर घेर–घोटकर इसे वही आम के बाग में बने छोटे नाले के पास से पकड़ लिया। नाम–पता पूछते हुए इससे भागने का कारण पूछा तो इसने अपना नाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुद्दीन निवासी मौहल्ला पीरतला कस्बा व थाना बेहट बताया। भागने की बाबत इसने बताया कि साहब मेरे पास नशीली गोलियाँ है। गोलियों में पकडे जाने के डर से मैं भागा था। तब मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कहा गया कि आपके पास नशीली गोलियाँ है। इसलिये आपकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जायेगी। ये आपका कानूनी अधिकार है। इस पर पकडे हुये व्यक्ति ने कहा कि साहब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहता। आप ही मेरी तलाशी ले लो, किसी भी अधिकारी के सामने जाने पर मेरी बेइज्ज़ती होगी। तब हम

पुलिसवालों ने धारा 50 एन०डी०पी०एस०एक्ट अनुपालन में सहमति–पत्र तैयार कर इसकी जामा तलाशी ली तो इसके पहनी काली पैन्ट की बाँयी जेब से पन्नी में 400 नशीली गोलियाँ नारंगी कलर की बरामद हुयी, जो इसने पूछने पर बताया कि साहब ये नशे की एल्प्राजेल की गोलियाँ है। जिन्हें मैं बाहर से कम दामों पर खरीद कर लाता हूँ तथा यहाँ टंकी के आसपास घूमकर नशा करने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों पर बेच देता हूँ। इन्हीं पैसों से मैं अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। फिर मैंने अपने तफतीशी बैग से इलैक्ट्रोनिक कांटा निकालकर बरामद गोलियाँ का वजन किया तो कुल वजन 52 ग्राम है। बरामद गोलियों में से 50 गोली वजनी 6 ग्राम को बतौर नमूना परीक्षण हेतु अलग निकालकर पन्नी में रखकर एक सफेद कपडे में सीलकर सील–सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया तथा शेष 350 गोलियों को अलग एक पिन्नी में रखकर सफेद कपडे में रखकर सीलकर सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा– 8/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट की हद को पहुँचता है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुये माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब 08:20 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझे उपनिरीक्षक द्वारा लिखकर हमराह कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर हस्तक्षार बनवाये जाते हैं। गिरफ्तारी की सूचना थाने से दी जायेगी। दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई–बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। बिना नाम–पता बताये चले गये। बरामद गोलियों की तौल पर्ची बनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये।

3. वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–7** के आधार पर अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 130/2021, अन्तर्गत धारा– 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की चिक **प्रदर्श क–9** किता की गयी तथा मामले का इन्द्राज थाना की जी०डी० **प्रदर्श क–10** में किया गया।

पुलिस कार्यवाही –

4. पुलिस थाना बेहट में तैनात **हैड कांस्टेबल लोकेन्द्र सिंह, पी०डब्ल्यू०–4** द्वारा अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 130/2021, अन्तर्गत धारा– 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–9** अंकित करायी गई। तत्पश्चात मामले का अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह को सौंप दिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र **प्रदर्श क–3** न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रस्तुत अभियोग पत्र पर तत्कालीन विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5 सहारनपुर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में दिनाँक 28.10.2021 को विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–9 द्वारा अभियुक्त पर आरोप विरचित किए गए। विरचित आरोप पर अभियुक्त का यह अभिवाक रहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया तथा परीक्षण किए जाने का निवेदन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता– 1973 की धारा– 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण दिनाँक 18.08.2025 को तथा अतिरिक्त परीक्षा अंतर्गत

धारा–313 द०प्र०सं० दिनांक 08.06.2026 को अभिलिखित की गयी। परीक्षण में अभियुक्त ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व तथ्यों से इंकार किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन कर कहा कि मैं निर्दोष हूँ। गाँव की पार्टीबाजी में झूठा फंसाया गया है।

7. प्रकरण की पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनाँकित 20.04.2026 के अनुपालन में अंतरण उपरान्त इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा साक्ष्य निम्नवत है तथा साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए कथनों का विश्लेषण यथोचित स्थान पर किया जाएगा–

8. अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–1 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह** ने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य के दौरान अभिकथित किया है कि दिनांक 12.03.2021 को मैं थाना बेहट जिला सहारनपुर पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मुझे थाने पर पंजीकृत मु.अ.सं. 130/2021 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुदीन निवासी बेहट सहारनपुर की विवेचना सुपुर्द हुई थी। मैंने विवेचना गृहण कर थाना कार्यालय से उक्त केस से संबंधित एफ.आई.आर., नकल रपट, गिरफ्तारी मीमो आदि कागज प्राप्त कर सी.डी. का पर्चा नं. 1 किता करते हुए नकल एफ.आई.आर., नकल रपट, अवलोकन सहमति पत्र व तौल प्रमाण पत्र की नकल सी.डी. में करके संलग्न सी.डी. किया था। थाना कार्यालय में मौजूद एफ.आई.आर. लेखक है.कां. लोकेन्द्र सिंह के बयान सी.डी. में अंकित किये थे तथा थाना हवालात में बंद अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू के बयान अंकित किये थे। जिसमें उसने अपने जुर्म को इकबाल किया था तथा अभियुक्त माल मुकदमा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। दिनांक 14.03.21 को सी.डी. का पर्चा नं. 2 किता किया था तथा थाने पर मौजूद वादी मुकदमा एस.आई. सुरेशवीर सिंह तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के साक्षी एस.आई. प्रदीप कुमार चीमा तथा कां. अंकित तोमर, कां. नितिन तोमर के बयान सी.डी. में अंकित किये थे तथा वादी मुकदमा सुरेशवीर के साथ घटनास्थल नासिर घण्टी वाले के पास छोटा नाला कस्बा बेहट जाकर वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मौके पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था। उसका तसकरा सी.डी. में अंकित करते हुए नक्शा संलग्न सी.डी. किया था। पत्रावली पर संलग्न मूल नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि यही नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया था। यह मेरे लेख हस्ताक्षर में हैं। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दिनांक 20.03.21 को मैंने सी.डी. का पर्चा नं. 3 किता किया था। जिसमें मुझे इस मुकदमे से संबंधित माल नमूना को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद में दाखिल होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जिसमें उक्त माल मुकदमा कां. विकलसोम द्वारा क्रमांक सं. 1566/नार/21 पर दिनांक 16.03.21 को दाखिल होना अंकित है। उक्त रिपोर्ट माल दाखिला का अवलोकन कर सी.डी. में संलग्न किया था। सी.डी. में तस्करा अंकित किया था। उक्त माल दाखिला रिपोर्ट मेरे साथ तैनात रहे सी.ओ. बेहट विजयपाल सिंह के द्वारा तैयार कर भेजी गई थी। उनको मैंने लिखते–पढ़ते देखा है। उनके लेख हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ। इस माल दाखिला रिपोर्ट पर उन्हीं के हस्ताक्षर व मुहर लगी है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। बाद विवेचना बयान वादी, गवाहान व अभियुक्त तथा माल बरामदगी, निरीक्षण घटनास्थल आदि साक्ष्य के आधार पर मैंने अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 8/22 का साबित पाते हुए मैंने अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू के विरुद्ध आरोप पत्र सं. 100/2021 माननीय न्यायालय प्रेषित किया था। पत्रावली पर

संलग्न मूल आरोप पत्र जो दो पृष्ठों में है, को देखकर गवाह ने कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा मु.अ.सं. 130/2021 की विवेचना के संबंध में मैंने कंप्यूटर पर तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर कर प्रेषित किया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं शिनाख्त करता हूँ। आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

9. **पी0 डब्लू0–2 उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह** ने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य के दौरान अभिकथित किया है कि दिनांक 12.03.21 को मैं थाना बेहट सहारनपुर पर बतौर एस.आई. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैं एस.आई. प्रदीप कुमार व कां. अंकित व कां. नितिन को हमराही लेकर थाने से रपट नं. 11 समय 6:35 बजे रवाना होकर क्षेत्र में देखरेख शान्ति व्यवस्था व तलाश अपराधी व गश्त पर थे। गश्त करते हुए हम अहमद कालोनी में पानी की टंकी के पास सामने से महाजनान मौहल्ला, मन्दिर की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखायी दिया जो हम पुलिस वालो को देखकर शकपकाकर, नासिर घण्टी कारखाने की बराबर से शिव मंदिर आम के बाग की ओर भाग लिया। शक होने पर हम पुलिस वालो ने घेर कर उस व्यक्ति को आम के बग में छोटे नाले के पास पकड़ लिया और उसका नाम पता पूछा और भागने का कारण पूछा तो उसने अपना नाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुदीन निवासी मौ. पीरतला कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर बताया। भागने का कारण उसने बताया कि साहब मेरे पास नशीली गोलियां हैं, पकड़े जाने के डर से मैं भागा था। इस पर मैंने पकड़े व्यक्ति को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान से अवगत कराया कि आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करा सकते हो। इस पर पकड़े वयक्ति ने कहा कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहता इसमें मेरी और अधिक बेइज्ज़ती होगी। आप ही मेरी जामा तलाशी ले लो। इस पर मैंने उस व्यक्ति की सहमति तलाशी के संबंध में सहमति पत्र तैयार किया तथा उस पर पढ़कर सुनाकर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये। पत्रावली पर संलग्न जामा तलाशी प्रारूप धारा 50 को देखकर गवाह ने कहा कि यही सहमति पत्र है जो मैंने अभियुक्त बाबर अली की तलाशी के संबंध में तैयार किया था। इस पर हमराही कर्मचारीगण व बाबर अली के हस्ताक्षर हैं। सहमति पत्र मेरे लेख हस्ताक्षर में है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इसके बाद अभियुक्त की जामा तलाशी ली तो उसकी पहनी पेंट की बाईं जेब से पन्नी में 400 नशीली गोली एल्प्राजोलम लिखी बरामद हुईं। गोलियों के बारे में अभियुक्त बाबर ने बताया कि इन एल्प्रोजोलम की गोलियों को मैं बाहर से कम दाम पर खरीदकर लाता हूँ और यहाँ व आसपास नशा करने वाले लोगों को अच्छे दामों पर बेच देता हूँ और इनसे प्राप्त रूपयो से मैं अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। अपनी विवेचना किट से इलैक्ट्रॉनिक कांटा निकालकर बरामदा गोलियों का वजन किया तो उनका वजन 52 ग्राम हुआ। जिनमें से 6 ग्राम वजन की 50 गोली परीक्षण हेतु अलग नमूने के रूप में निकाल कर एक पन्नी में रखकर कपड़े में सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया और शेष 350 गोलियों को अलग एक पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में रखकर मौके पर सील सर्वे मुहर किया था तथा इनकी तौल पर्ची मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई। पत्रावली पर संलग्न तौलपर्ची तथा तौलपर्ची नमूना को देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनो तौल पर्ची बरामद गोलियों के संबंध में मेरे द्वारा तैयार की गई थी। इन दोनो पर मेरे हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बाबर अली के हस्ताक्षर हैं। दोनो तौल पर्ची मेरे लेख हस्ताक्षर में है, मैं शिनाख्त करता हूँ। इन पर क्रमशः **प्रदर्श क–5** व **प्रदर्श क–6** डाले गये। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर नियमानुसार हिरासत पुलिस समय करीब 8:20 बजे लिया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया।

दौरान तलाशी व कार्यवाही जनता के गवाह लेने का प्रयास किया गया। कोई भी जनता का गवाह भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ, बिना नाम पता बताये चले गये। मौके पर फर्द बरामदगी मेरे द्वारा तैयार करते हुए पढ़कर सुनाकर उस पर हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराते हुए फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त बाबर को देकर उसके अलामात फर्द पर बनवाये गये। पत्रावली पर संलग्न मूल फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यही फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई थी। इस पर गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। फर्द मेरे लेख हस्ताक्षर में है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। पत्रावली पर संलग्न मूल गिरफ्तारी/सूचना पत्र को देखकर गवाह ने कहा कि यही गिरफ्तारी प्रपत्र मैंने तैयार किया था। मेरे लेख हस्ताक्षर में है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। बाद कार्यवाही मौके से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व माल तथा तैयार प्रपत्र थाने लाकर अभियुक्त के विरुद्ध मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे से संबंधित माल मुकदमा एक सील सर्वे मुहर कपड़े पुलिन्दे में माननीय न्यायालय में मेरे सामने है। जिस पर मेरी सील लगी है। सील पुलिन्दे कपड़े पर मु.अ.सं. 130/2021 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम बाबर उर्फ बब्लू, चालानी थाना बेहट सहारनपुर महमूला एक पुलिन्दे 350 गोली एल्प्राजोलम सील सर्वे मुहर लिखा है। माननीय न्यायालय का सीन किये जाने का इन्द्राज है। अभियुक्त बाबर व मेरे हमराही कर्मचारीगण तथा मेरे हस्ताक्षर हैं इनके नीचे दिनांक 12.03.21 अंकित है। माल क्रमांक सं. 111/21 अंकित है। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील पुलिन्दा, कपड़ा हटाकर खोला गया उसके अंदर से एक पन्नी निकली तथा पन्नी के अन्दर से गोलियां निकली, जिन्हे देखकर गवाह ने कहा कि यही वह गोलियां हैं, जो अभियुक्त बाबर से मौके पर बरामद हुई थी तथा जिन्हें अभियुक्त ने एल्प्राजोलम नशीली गोलियां होना बताया था। इन्हीं में से मैंने 50 गोली बतौर नमूना अलग निकालकर शेष 350 गोलियों को इस पन्नी व कपड़े में सील सर्वे मुहर किया था। इनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। कपड़े पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श–1** व पन्नी पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया तथा 350 एल्प्राजोलम गोलियों को संयुक्त रूप से **वस्तु प्रदर्श–3** के रूप में शिनाख्त किया।

10. **पी0 डब्लू0–3 कां. अंकित तोमर** ने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य के दौरान अभिकथित किया है कि दिनांक 12.03.2021 को मैं थाना बेहट सहारनपुर पर बतौर कांस्टेबल तैनात था। उस दिन एस.आई. सुरेशवीर सिंह तथा एस.आई. प्रदीप कुमार चीमा तथा कां. नितिन तोमर के साथ हमराह होकर थाने से जी.डी. नं. 11 समय 06:35 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र में देखरेख शान्ति व्यवस्था व तलाश अपराधी में मामूर होकर कस्बा बेहट में गश्त पर थे। जब हम गश्त करते हुए अहमद कालोनी में नई पानी की टंकी पर पहुँचे तो सामने से महाजनान मन्दिर की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखा जो हम पुलिस वालो को देखकर एकदम शकपकाया और नासिर घण्टी कारखानेकी बराबर से शिव मंदिर आम के बाग की ओर भाग लिया। शक होने पर हम पुलिस वालों ने दबिश देकर घेर कर उस व्यक्ति को आम के बाग में बने छोटे नाले के पास पकड़ लिया और पकड़े व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो उसने नाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुदीन निवासी मौ. पीरतला कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर बताया और अपने पास नशीली गोलियां होना व पकड़े जाने के डर से पुलिस को देखकर भागना बताया। इस पर एस.आई. सुरेशवीर द्वारा पक़ड़े व्यक्ति को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि आपका कानूनी अधिकार है कि आपकी अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जायेगी। इस पर पकड़े व्यक्ति ने कहा कि

साहब मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहता, आप ही मेरी तलाशी ले लो। किसी अधिकारी के सामने जाने पर मेरी और बेइज्ज़ती होगी। इस पर एस.आई. सुरेशवीर सिंह द्वारा अभियुक्त की तलाशी का सहमति पत्र तैयार कर उसे पढ़कर सुनाकर उस पर अभियुक्त बाबर अली व हमारे हस्ताक्षर कराये। गवाह ने प्रदर्श क–4 सहमति पत्र को देखकर, मौके पर दरोगी जी द्वारा तैयार किया जाना बताते हुए, उस पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये। इसके बाद पकड़े अभियुक्त बाबर की जामा तलाशी ली गई तो बाबर की पहनी काली पेंट की बाईं जेब से एक पन्नी में नारंगी रंग की 400 नशीली गोलियां बरामद हुई। जिनके बारे में पूछने पर बाबर ने बताया कि ये नसे की एल्प्राजोलम गोलियां हैं, जिन्हें मैं बाहर से कम दामो पर खरीद कर, यहां टंकी के आसपास घूमकर नशा करने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामो पर बेच देता हूँ और इन्हीं पैसों से मैं अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। फिर एस.आई. सुरेशवीर सिंह द्वारा अपनी विवेचना किट से इलैक्ट्रॉनिक कांटा निकालकर, गोलियों का वजन किया तो गोलियों का कुल वजन 52 ग्राम हुआ। बरामद गोलियों में से 50 गोली वजन 6 ग्राम को बतौर नमूना परीक्षण हेतु अलग निकालकर पन्नी में रखकर तथा शेष 350 गोलियों को अलग पन्नी में रखकर दोनों को अलग–अलग कपड़ो में सील सर्वे मुहर कर नमूने मुहर मौके पर तैयार किये गये। तौलपर्ची, बरामद गोलियों के नमूना व अन्य गोलियों की तौल के संबंध में अलग–अलग तैयार कर उन पर भी अभियुक्त बाबर अली व अन्य हमराह पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराये। अभियुक्त को उसके जुर्म व धारा से अवगत कराकर नियमानुसार समय करीब 8.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार कर दरोगाजी द्वारा अभियुक्त बाबर के व मेरे तथा अन्य पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराये थे। फर्द बरामदगी एस.आई. सुरेशवीर सिंह द्वारा मौके पर तैयार कर लिखकर, उसे पढ़कर सुनाकर फर्द पर मेरे व अभियुक्त बाबर के तथा अन्य पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराये थे। फर्द की एक कार्बन पर्ति अभियुक्त बाबर को मौके पर दी गई थी। पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श क–8 गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–7 फर्द बरामदगी को गवाह, प्रदर्श क–6 को देखकर गवाह ने एस.आई. सुरेशवीर सिंह द्वारा मौके पर तैयार किया जाना बताया। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त बाबर व बरामदगी मौके से जनता के गवाहान लेने का प्रयास किया गया था, तो भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुआ, बिना नाम पता बताये चले गये थे। बाद कार्यवाही मौके से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त बरामद माल मुकदमा व तैयार किये प्रपत्रों को थाने लाकर एस.आई. सुरेशवीर सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

11. **पी0 डब्लू0–4 एस.आई. लोकेन्द्र सिंह** ने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य के दौरान अभिकथित किया है कि दिनांक 12.03.2021 को मैं थाना बेहट जिला सहारनपुर बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। उस दिन वादी एस.आई. सुरेशवीर सिंह की फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्त के आधार पर मेरे द्वारा थाने पर मु.अ.सं. 130/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुदीन निवासी मौहल्ला पीरतला थाना बेहट सहारनपुर दर्ज किया था। मुकदमे की कायमी का खुलासा उसी दिन जी.डी. संख्या 21 समय 9:41 में किया गया था। संलग्न पत्रावली मूल चिक एफ.आई.आर. को द्वारा वी.सी. गवाह ने देखकर कहा कि यही चिक एफ.आई.आर. मैंने मु.अ.सं. 130/21 के संबंध में कंप्यूटर पर टाईप कराई थी। इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाना की मुहर लगी है। श्रीमान क्षेत्राधिकारी के लघु हस्ताक्षर हैं एवं न्यायालय द्वारा सीन किये जाने का इन्द्राज मुहर व लघु हस्ताक्षर सहित हैं तथा जी.डी. कायमी मैंने स्वयं तैयार की थी। इस पर थाना की मुहर लगी है इन

दोनो प्रपत्रों की मैं शिनाख्त करता हूँ। चिक एफ.आई.आर. पर **प्रदर्श क–9** तथा जी.डी. कायमी पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।

12. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

13. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा **करन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2022 Live Law (SC) 234 में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे।

14. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय विधि **मौसम सिंह राय व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** 2003 (3) **ए०सी०आर०, पेज नं0–2673** में यह अवधारित किया गया है कि दांडिक न्याय शास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि अपराध जितना गंभीर हो, सबूत भी उतने ही कठोर स्तर का होगा, क्योंकि आश्वासन की उच्चतर मात्रा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपेक्षित होती है।

15. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा पारित निर्णजय **विधि शरद विरधीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र** 1984 (4), **एस०सी०सी०, पेज नं0–118** में यह अवधारित किया गया है कि शंका चाहे कितनी भी व्यापक हो, विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है। नैतिक दोषसिद्ध चाहे जितनी दृढ़ या असली हो, विधितः समर्थनीय विधिक दोषसिद्धी की कोटि में नहीं आ सकती।

16. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** की उक्त निर्णयज विधि में दी गयी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को यह देखना है कि <u>क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।</u>

17. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त के पास से स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस पार्टी के द्वारा समस्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समस्त प्रपत्रों को तैयार कर न्यायालय में साबित किया है। रात्रि का समय होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर नहीं मिल सका है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का न्यायालय में दिए गए बयानों में पूर्ण समर्थन किया है।

18. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एन०डी०पी०एस० एक्ट) के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। आवश्यक प्रपत्रों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। नमूना व तौल में भिन्नता है। सहमति पत्र व तौल पर्ची पर पुलिसकर्मीगण के हस्ताक्षर नहीं है। माल मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एफ०एस०एल० भेजे गए नमूना माल का वजन लिए गए नमूना माल से कम पाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षीगण से अभियोजन कथानक को साबित नहीं कर सका है।

19. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि **<u>क्या अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है</u>** ?

20. फर्द/तहरीर **प्रदर्श क–7** में उल्लेखित है कि दिनांक 12.03.2021 को मैं उपनिरीक्षक सुरेशवीर सिंह मय उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार चीमा मय हमराह का0 144 अंकित तोमर व का0 1029 नितिन तोमर के मय प्राइवेट वाहन से थाना हाजा से बहवाले रपट न० 11 समय 06:35 को रवाना होकर वास्ते गश्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था तलाश

अपराधी हेतु कस्बा बेहट में मामूर थे कि जब हम लोग गश्त करते हुये अहमद कालोनी में स्थित नई पानी की टंकी पर पहुँचे तो सामने से माजनान मन्दिर की तरफ से एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई दिया, जो हम पुलिसवालों को देखकर एकदम सकपकाया तथा नासिर घण्टी कारखाने की बराबर से शिव मन्दिर आम के बाग की और भागा कि हम लोगों को शक होने पर एकबारगी दबिश देकर घेर–घोटकर इसे वही आम के बाग में बने छोटे नाले के पास से पकड़ लिया। नाम–पता पूछते हुए इससे भागने का कारण पूछा तो इसने अपना नाम बाबर उर्फ बब्लू पुत्र फरीदुद्दीन निवासी मौहल्ला पीरतला कस्बा व थाना बेहट बताया। भागने की बाबत इसने बताया कि साहब मेरे पास नशीली गोलियाँ है। गोलियों में पकडे जाने के डर से मैं भागा था। तब मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कहा गया कि आपके पास नशीली गोलियाँ है। इसलिये आपकी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जायेगी। ये आपका कानूनी अधिकार है। इस पर पकडे हुये व्यक्ति ने कहा कि साहब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं किसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहता। आप ही मेरी तलाशी ले लो, किसी भी अधिकारी के सामने जाने पर मेरी बेइज्ज़ती होगी। तब हम पुलिसवालों ने धारा 50 एन०डी०पी०एस०एक्ट अनुपालन में सहमति–पत्र तैयार कर इसकी जामा तलाशी ली तो इसके पहनी काली पैन्ट की बाँयी जेब से पन्नी में 400 नशीली गोलियाँ नारंगी कलर की बरामद हुयी, जो इसने पूछने पर बताया कि साहब ये नशे की एल्प्राजेल की गोलियाँ है। जिन्हें मैं बाहर से कम दामों पर खरीद कर लाता हूँ तथा यहाँ टंकी के आसपास घूमकर नशा करने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों पर बेच देता हूँ। इन्हीं पैसों से मैं अपना व अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। फिर मैंने अपने तफतीशी बैग से इलैक्ट्रोनिक कांटा निकालकर बरामद गोलियाँ का वजन किया तो कुल वजन 52 ग्राम है। बरामद गोलियों में से 50 गोली वजनी 6 ग्राम को बतौर नमूना परीक्षण हेतु अलग निकालकर पन्नी में रखकर एक सफेद कपडे में सीलकर सील–सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया तथा शेष 350 गोलियों को अलग एक पिन्नी में रखकर सफेद कपडे में रखकर सीलकर सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनवाया गया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा– 8/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट की हद को पहुँचता है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुये माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब 08:20 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझे उपनिरीक्षक द्वारा लिखकर हमराह कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर हस्तक्षार बनवाये जाते हैं। गिरफ्तारी की सूचना थाने से दी जायेगी। दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाहान फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई–बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। बिना नाम–पता बताये चले गये। बरामद गोलियों की तौल पर्ची बनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये।

21. पी0 डब्ल्यू0–1 सेवानिवृत्ति उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह विवेचक ने विवेचना के दौरान की गई कार्यवाही के संबंध में मुख्य परीक्षा में बयान दिया है। पी0 डब्ल्यू0–1 ने मुख्य परीक्षा में नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–1, विधि–विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद को परीक्षण हेतु प्रेषित माल प्रपत्र संख्या 13 क/1 को प्रदर्श क–2 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है। पी0 डब्ल्यू0–1 की प्रतिपरीक्षा दिनांक 17.11.2023 को स्थगित किए जाने के उपरांत उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा हेतु आहूत करने पर सी0 डब्ल्यू0–1 कांस्टेबल रवि कुमार का बयान कराया गया, जिन्होंने उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 10.09.2024 तथा उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह के मृत्यु प्रमाण–पत्र को प्रदर्श–2 के रूप में प्रमाणित किया है। पी0 डब्ल्यू0–1 की मृत्यु हो जाने के

कारण उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकी है, जिस कारण पी0 डब्ल्यू0–1 की मुख्य परीक्षा पठनीय नहीं है।

22. पी0 डब्ल्यू0–2 सुरेशवीर सिंह वादी मुकदमा तथा पी0 डब्ल्यू0–3 कांस्टेबल अंकित तोमर ने फर्द प्रदर्श क–7 का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। पी0 डब्ल्यू0–2 सुरेशवीर सिंह वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में सहमति पत्र को प्रदर्श क–4, दोनों तौल पर्ची को प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–7, गिरफ्तारी/सूचना पत्र को प्रदर्श क–8 के रूप में प्रमाणित किया है। पी0 डब्ल्यू0–2 ने माल मुकदमा, कपड़ा पुलिंदा वस्तु प्रदर्श–1, पन्नी वस्तु प्रदर्श–2 तथा 350 अल्प्राजोलम की गोलियों को संयुक्त रूप से वास्तु प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है।

23. पी0 डब्ल्यू0–4 एस.आई. लोकेंद्र सिंह ने मुख्य परीक्षा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–9 तथा जीडी कायमी को प्रदर्श क–10 के रूप में प्रमाणित किया है।

24. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 5 पर कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–5 पर हमराह कांस्टेबल अंकित तोमर के हस्ताक्षर नहीं है। पी0 डब्ल्यू0–2 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पत्रावली पर संलग्न तौलपर्ची तथा तौलपर्ची नमूना को देखकर गवाह ने कहा कि यह दोनों तौल पर्ची बरामद गोलियों के संबंध में मेरे द्वारा तैयार की गई थी। इन दोनों पर मेरे हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बाबर अली के हस्ताक्षर हैं। पी0 डब्ल्यू0–3 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि तौलपर्ची, बरामद गोलियों के नमूना व अन्य गोलियों की तौल के संबंध में अलग–अलग तैयार कर उन पर भी अभियुक्त बाबर अली व अन्य हमराह पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराये।

25. पत्रावली में दाखिल तौल पर्चियां प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 पर हमराह कांस्टेबल अंकित तोमर के हस्ताक्षर नहीं है। अंकित तोमर घटनास्थल पर उपस्थित रहा है। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 के मुख्य परीक्षा के बयान पत्रावली में दाखिल तौल पर्चियों प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जिससे घटनास्थल पर अभियुक्त से कथित बरामद अल्प्राजोलम की गोलियां को तौलकर पर्चियाँ तैयार किया जाना संदिग्ध हो जाता है।

26. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 5 पर कथन किया है कि घटनास्थल के आसपास वाजिद व नासिर के रिहायशी मकानात हैं। इन मकानों से किसी को इसलिए नहीं बुलाया था, क्योंकि दरवाजे बंद थे। पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 5 पर कथन किया है कि यह सही है कि वस्तु प्रदर्शित पुलिंदे पर उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर नहीं है। मौके पर मैंने तीन नमूना मोहर तैयार किए थे। तीनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये थे। तीनों नमूना मोहर बाबत कायमी मुकदमा एच.एम. को दिए थे। थाने पर आकर मैंने नमूना व मुलजिम को एच.एम. के सुपुर्द कर दाखिला कराया था।

27. **धारा– 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट** में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की गई वस्तुओं को, जो उसे दी जाएं, मजिस्ट्रेट के आदेश लंबित रहने तक अपने भारसाधन में लेगा तथा लिए गए सभी नमूने पुलिस थाना के बाहर सड़क अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे।

28. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त से कथित बरामद पदार्थ को थाने में लाया जाना अभियोजन साक्षीगण ने स्वीकार किया है। अभियोजन साक्ष्य में यह नहीं आया है कि बरामद माल को थाना तीतरो के भारसाधक अधिकारी ने अपने भारसाधन में लिया और

नमूने को अपनी मुद्रा से मुद्रा अंकित किया। धारा–55 एन.डी.पी.एस. एक्ट में शब्द "भार साधन में लेगा" से परिलक्षित होता है कि उक्त प्रावधान बाध्यकारी प्रकृति का है। जिसका अनुपालन वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है।

29. पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 4 पर कथन किया है कि घटना के समय मौके पर काफी आदमी आ–जा रहे थे तथा काफी दुकान भी वहां थी। रिहायशी मकानात भी थे। घटनास्थल के सामने मकान था। वहां से गवाह को बुलाने की कोशिश की थी। नाम–पते पूछे थे। नाम–पते नहीं बताए थे। 5–6 आदमी घटनास्थल पर आए थे।

30. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि वस्तु प्रदर्शित पुलिंदे पर उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर नहीं है। उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार घटनास्थल पर वादी मुकदमा पी0 डब्ल्यू0–2 के साथ ही रहे हैं। उनके वस्तु प्रदर्शित पुलिंदे पर हस्ताक्षर न होना यह दर्शित करता है कि कथित कार्यवाही घटनास्थल पर नहीं की गई है।

31. पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 6 पर कथन किया है कि मैंने मुलजिम से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह गोलियां किस स्थान, दुकान से लेकर आया है। बरामद माल पर किसी दवाई का नाम, निशान अथवा कोई मार्का अंकित नहीं है। मैंने केवल मुलजिम के कहने से इन गोलियों को अल्प्राजोलम मान लिया था। यदि मुलजिम यह बताता की गोली साइनाइड की है तो मैं मान लेता। यह सही है कि अल्प्राजोलम की गोलियां रैपर में आती हैं। पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 5 पर कथन किया है कि मुलजिम से पूछा था कि माल कहां से लाया था, परंतु बताया नहीं। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 समान तत्व के बाबत भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं जिससे घटनास्थल पर अभियुक्त से अल्प्राजोलम की गोलियां कहां से प्राप्त की है इस संबंध में कोई भी पूछताछ किया जाना संदिग्ध हो जाता है।

32. पी0 डब्ल्यू0–2 घटनास्थल के आसपास रिहायशी मकान होने का कथन कर रहा है परंतु किसी भी गवाह को उक्त मकान से बुलाए जाने का प्रयास नहीं करने का कथन कर रहा है जबकि पी0 डब्ल्यू0–3 कथन कर रहा है कि 5–6 लोग आए थे गवाहों के बने कोशिश की थी परंतु नाम पता बताये बिना चले गए। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 दोनों घटनास्थल पर उपस्थित रहे हैं और समान तत्व के बाबत भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं। जिससे उक्त साक्षीगण की घटना स्थल पर उपस्थित संदिग्ध हो जाती है तथा अभियुक्त से घटना स्थल पर कथित माल बरामद किया जाना भी संदेहस्पद हो जाता है। उक्त परस्पर भिन्न–भिन्न कथनों से भी निष्कर्ष निकलता है कि जनता के किसी गवाह को फर्द प्रदर्श क–7 का गवाह बनाने की कोशिश नहीं की गई है।

33. **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** की **धारा 51** प्रावधान करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों का वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण को लागू होना– दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी वारंटों तथा की गई गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

34. **धारा– 100 दण्ड प्रक्रिया संहिता** प्रावधान करती है कि–

1–....

2–....

3–....

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने बाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामन्द नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

35. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

36. **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा **फिरोज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सी०बी०सी० पेज 65** में यह अवधारित किया गया है कि यदि जनता के गवाह मामले में शामिल किये जा सकते थे, परंतु नहीं किये गये तो यह प्रतिकूल अवधारणा की जाएगी कि जिस प्रकार की घटना अभियोजन द्वारा बताई गई है। ऐसी घटना घटी ही नहीं।

37. वर्तमान प्रकरण में पुलिस के पास पर्याप्त समय था, जिससे वह आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तारी व बरामदगी का साक्षी बना सकते थे, परंतु पुलिस पार्टी के द्वारा स्वतंत्र साक्षी बनाए जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

38. बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने कथन किया है कि गांव की पार्टीबाजी के चलते घर से उठाकर झूठी बरामदगी दिखाई गई है। अभियोजन

साक्षीगण द्वारा झूठा बयान दिए जाने का कथन किया है। स्वयं को निर्दोष होना तथा पुलिस द्वारा गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठ फंसाए जाने का कथन किया है।

39. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त की जामा तलाशी से 400 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद होना अभिकथित किया गया है।

40. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे निर्णय में एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबोधित किया जाएगा) संबंधित धाराओं का उल्लेख किया जाना समीचीन है:–

एन०डी०पी०एस० एक्ट की **धारा– 43** प्रावधान करती है कि,

43. लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– धारा 42 में उल्लिखित–

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीव जन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ हैं और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक स्थान" पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है।]

एन०डी०पी०एस० एक्ट की **धारा 50** प्रावधान करती है कि वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब

तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में को किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

41. पत्रावली में दाखिल सहमति–पत्र प्रदर्श क–4 में तलाशी से पूर्व अभियुक्त को उसके संवैधानिक अधिकार तथा किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लिए जाने के बारे में बताया गया है। अभियुक्त ने पुलिस पार्टी को तलाशी लेने की स्वयं सहमती दी है।

42. पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बरामद माल के नमूना मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए हो। उच्चाधिकारियों को अभियुक्त की गिरफ्तारी या उसे बरामदगी की सूचना नहीं दी गई है।

43. **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** ने **अली हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024(1) JIC 649 (ALL) (LB)** के **पैरा 18** एवं **19** में अभिमत व्यक्त किया कि–

> 18. Admittedly, the prosecution has not produced other independent eye–witnesses of the alleged recovery and even no explanation has been offered by the prosecution for their non–production. All the witnesses are police personnel. Non–production of independent eye–witness is serious lacuna which has made the prosecution case very doubtful.
>
> 19. In addition to above, admittedly the appellant, prior to his search, was not produced before any Gazetted Officer or Magistrate, whereas according to prosecution before his search the police personnel were informed by the appellant

> that he was carrying the charas. Prosecution has also not produced any written consent of the appellant for his search. From perusal of testimony of prosecution witnesses, it does not transpire that any efforts were made by them to produce the appellant before any Gazetted Officer or Magistrate, as required by Section 50 of N.D.P.S. Act, in view of law laid down by Apex Court in Vijaysinh Chandubha Jadeja vs State of Gujarat 2011(1) JIC 624 (SC).

44. विधि–व्यवस्था **Mina Pun Versus State of U.P.** [2023(4) JIC 687 (SC)] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा 8** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ की निर्णय विधि–व्यवस्था **The State Of Punjab vs Baldev Singh** [(1999) 6 SCC172] **के पैरा 29** को उल्लेख किया कि–

> 29... ..We have no hesitation in holding that insofar as the obligation of the authorised officer under sub–section (1) of Section 50 of the NDPS Act is concerned, it is mandatory and requires strict compliance. Failure to comply with the provision would render the recovery of the illicit article suspect and vitiate the conviction if the same is recorded only on the basis of the recovery of the illicit remedy from the person of the accused during said search. Thereafter, the suspect may not choose to exercise the right provided to him under the said provision.

45. वर्तमान प्रकरण में भी ना तो पुलिस पार्टी द्वारा स्वतंत्रता साक्षीगण को लेने का कोई प्रयास किया गया। इस प्रकार धारा **50 एन.डी.पी.एस. एक्ट** का अनुपालन पुलिस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। इससे अभियुक्त से कथित 400 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद होना संदिग्ध होता है।

46. पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में पेज 4 पर कथन किया है कि माल को दरोगा जी ने अपने इलेक्ट्रोनिक कांटे से तौला था। उसका वजन 52 ग्राम था। वजन तौल पर्ची में लिख दिया था। दरोगा जी सुरेशवीर की सील से सील किया था। मुझे नहीं पता कि सील पर क्या अक्षर था। दो पुलिंदे व दो तौल पर्ची की कुल चार बनाए थे। नमूना मोहर पर मुलजिम के हस्ताक्षर कराए थे व अपने भी किए थे। नमूना मोहर माल के साथ थाने पर जमा कर दिए थे। नमूना मोहर आज पत्रावली पर मेरे सामने नहीं है।

47. इस प्रकार नमूना मोहर को पत्रावली में अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। जिससे आज स्पष्ट नहीं हो रहा है कि घटनास्थल पर माल को किसी सील से वादी

मुकदमा के द्वारा सील किया गया था। नमूना मोहर पत्रावली में न होने के कारण यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नमूना मोहर पर अभियुक्त के तथा वादी मुकदमा के हस्ताक्षर हुए थे अथवा नहीं।

48. अभियोजन साक्षीगण के बयानों में तथा अभियोजन कथानक में आया है कि अभियुक्त से 400 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद हुई। जिनका कुल वजन 52 ग्राम था। जिसमें से 50 गोलियां अलग कर नमूना लिया गया। जिनका वजन 6 ग्राम था। विधि–विज्ञान, प्रयोगशाला को उक्त नमूना 50 अल्प्राजोलम गोलियां भेजा जाना अभिकथित किया है।

49. अल्प्राजोलम की 400 गोलियों का कुल वजन 52 ग्राम होना अभिकथित किया गया है। जिससे एक गोली का वजन 0.13 होता है। 50 गोलियों का वजन 6.5 ग्राम होना चाहिए। जबकि नमूना लिए जाने पर 50 गोलियों का वजन मात्र 6 ग्राम ही अभियोजन द्वारा दर्शित किया गया है।

50. पत्रावली में दाखिल विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 22क/3 में एक गोली का वजन 100 मिलीग्राम होना उल्लेखित किया गया है। जिससे 50 गोलियों का वजन 5,000 मिलीग्राम अर्थात 5 ग्राम होना चाहिए। जबकि विधि–विज्ञान को प्रेषित नमूने 50 गोलियों का वजन 6 ग्राम अभिकथित किया गया है।

51. जब सूक्ष्म मात्रा ही गंभीर परिणाम उत्पन्न करती हो तब 1 ग्राम का अंतर बड़े अंतर को दर्शित करता है। उक्त अंतर से यही परिलक्षित होता है कि अभियुक्त से कथित बरामद की गई गोलियां विधि–विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित नहीं की गई हैं।

52. निर्णय विधि–व्यवस्था **Vijay Pandey v. State of U.P (2019) 18 SCC 215** में माननीय न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि –

> "8. The failure of the prosecution in the present case to relate the seized sample with that seized from the appellant makes the case no different from failure to produce the seized sample itself. In the circumstances the mere production of a laboratory report that the sample tested was narcotics cannot be conclusive proof by itself. The sample seized and that tested have to be correlated."

53. प्रस्तुत प्रकरण में कथित बरामद 400 अल्प्राजोलम की गोलियां में से 50 गोलियां जो नमूने के लिए लिया जाना अभिकथित है। एफ.एस.एल. को भेजे गए नमूने का संबंध अभियुक्त से होना अभियोजन स्थापित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के परीक्षण परिणाम में यह आना कि गोलियों में विश्लेषण द्वारा अल्प्राजोलम पाया गया, स्वयमेव निश्चायक सबूत नहीं हो जाता है।

54. उपर्युक्त समग्र विवेचना के आधार पर अभियोजन अपने कथानक को संदेश से परे साबित करने में असफल रहा है।

55. अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू, विशेष सत्र वाद संख्या–1283 सन् 2021, मुकदमा अपराध संख्या–130 सन 2021 आरोप अंतर्गत धारा–8/22 स्वापक औषधि और

मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना बेहट जिला सहारनपुर में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त बाबर उर्फ बब्लू को विशेष सत्र वाद संख्या–1283 सन् 2021 मुकदमा अपराध संख्या–130 सन 2021 में आरोप अंतर्गत धारा–8/22 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना बेहट जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाता है तथा उसके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437A दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हेतु अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूति अपील की अवधि के लिए तथा अपील होने की दशा पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाबत प्रभावी रहेगा।

प्रकरण में बरामदशुदा संपत्ति, अपील समय अवधि के पश्चात अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट की जाए।

निर्णय की एक प्रति धारा– 365 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा–406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत **जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर** को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनाँकः 02.07.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 02.07.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.03 16:48:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court